रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 22 जून, 1990/1 आषाढ़, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जून, 1990

संख्या एम0 पी0 पी0-ए(3)-11/76-पार्ट-II.—विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) हानियां उपगत करता रहा है और राज्य सरकार को इसकी आवश्यक वित्तीय बाध्यताओं के निर्वहन में समर्थ बनाने के लिए समय-समय पर आर्थिक सहायता और बोर्ड को ऋण अग्रिम देने पड़े हैं और बोर्ड को राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर, डिबेंचर या बंधपत्र जारी करके या बैंकरज के साथ व्यवस्था करके उधार लेने की मंजूरी देनी पड़ी है;

और राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण बोर्ड की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में पड़ गई है और बोर्ड के लिए इसके कृत्यों के निर्वहन में वित्तीय नियन्त्रण और आर्थिक उपायों का अनुसरण करना आवश्यक हो गया है।

अत: अब राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 78-अ की उप-धारा (1) के अधीन और इस सम्बन्ध में उनमें निहित अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि इसके कृत्यों के निर्वहन में बोर्ड निम्नलिखित निदेशों द्वारा मार्ग दर्शित होगा, अर्थात्:—

निदेश

1. वित्तीय सावधानी के सिद्धान्तों का पालन.—बोर्ड के कृत्यों में अधिकतम मितव्ययता और दक्षता प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड वित्तीय सावधानी का पालन करेगा।

2. वित्तीय खण्ड से परामर्श.—(1) उन सभी विषयों म जिनमें वित्तीय विवशता है और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड काम-काज विनियम, 1974 की प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत आत हैं प्राय: बोर्ड के वित्तीय खण्ड से परामर्श किया जाएगा और वित्तीय खण्ड द्वारा अभिलिखित विचार या उस पर की गई सिफारिशों को, प्रस्ताव को बोर्ड या बोर्ड की ओर से पूर्ण कालिक सदस्यों या प्रबन्ध समिति के समक्ष विचार के लिए या बोर्ड के समक्ष सुधार क लिए रखते समय विचार में लिया जाएगा।

(2) जहां बोर्ड की ओर से कार्य कर रहे पूर्ण कालिक सदस्य या प्रबन्ध समिति वित्तीय खण्ड द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हों, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारणों सहित प्रस्ताव विचार के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जायेंगे और जहां बोर्ड वित्तीय खण्ड की सिफारिशों को स्वीकार नही करता है या वित्तीय खण्ड द्वारा अभिव्यक्त, विचारों से असहमत हैं वहां यह ऐसी अस्वीकृति या असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा।

3. ठेकेदारों को संदाय —एक हजार रुपये से अधिक के संदायों से अन्तर्वलित सभी संव्यवहारों में, बोर्ड किसी भी ठेकेदार, पट्टेदार, खानपान प्रबन्धक या बोर्ड भण्डार के प्रदायक को वित्तीय खण्ड की सहमति क बिना कोई संदाय या वित्तीय अभिबन्धन नहीं करेगा; और जहां वित्तीय खण्ड सहमति रोकता है, वहां ऐसा संदाय करने के लिए कोई भी अभ्यवेदन या अनुरोध ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे अभ्यवेदन या अनुरोध पर वित्तीय खण्ड के विचार अभिनिश्चित नहीं कर लिए जाते।

4. व्यावृत्तियां.—निदेश संख्या तीन की कोई भी बात,—

(क) राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों या अभिकरणों को किए जाने वाले संदायों और प्रति-संदाओं; या

(ख) स्थापना सम्बन्धी विषयों के बारे में किए जाने वाले संदायों को लागू नहीं होगी।

राज्यपाल के आदेश द्वारा और नाम पर

हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

[*Authoritative English text of the Govt. notification No. MPP-A*(3) 11/76-*Part-II, dated* 22-6-90 *as required under Article* 348 *of the Constitution*].

M. P. P. AND POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd June, 1990

No. MPP-A (3) 11/76-Part-II.—Whereas the Himachal Pradesh State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Act No. 54 of 1948) (hereinafter called the Board) has been incurring losses and to enable itself to discharge its essential financial obligations, the State Government has, from time to time, to make subventions and advance loans to the Board and has to accord sanctions to the Board to borrow, on the guarantee given by the State Government, by issue of debentures or bonds or to make arrangements with bankers;

And whereas the State Government are satisfied that a situation has arisen whereby the Board is passing through financial difficulties it is necessary that the Board in discharge of its functions must apply financial checks and follow economy measures.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 78-A of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Act No. 54 of 1948) and all other powers vested in

him in this regard, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that in discharge of its functions the Board shall be guided by the following directions, namely:—

DIRECTIONS

1. *Observance of rules of financial prudence.*—For the purpose of achieving the maximum economy and efficiency in the functioning of the Board, the Board shall observe the norms of financial prudence.

2. *Consultation with Finance Wing.*—(1) In all matters which have financial implications and are included in the First, Second and Third Schedule to the Himachal Pradesh State Electricity Board, Regulations and Business, 1974, the Finance Wing of the Board shall invariably be consulted and the views recorded or the recommendations made thereon by the Finance Wing, shall be taken into consideration when the proposal is placed either for the consideration before the Board, or the whole time Members on behalf of the Board, or the Managing Committee, or for ratification by the Board.

(2) Where the whole time Members acting on behalf of the Board, or the Managing Committee are unable to accept the recommendations made by the Finance Wing, the proposal together with the reasons or such non-acceptance shall be placed for the consideration before the Board and where the Board does not accept the recommendations of the Finance wing or is in disagreement with the views expressed by the Finance Wing, it shall reduce in writing the reasons for such non-acceptance or disagreement.

3. *Payments to Contractors.*—In all transactions involving the payments exceeding the sum of Rupees One Thousand only, the Board shall not make without the concurrence of the Finance Wing, any payment or financial Commitment to any contractor, lessee, caterer or supplier of stores to the Board; and where the Finance Wing with-holds the concurrence no representation or request to release such payment shall be entertained or accepted, unless the views of the Finance Wing on such representation or request are ascertained.

4. *Savings.*—Nothing contained in Direction No. 3 shall apply,—

(*a*) to payments or repayments to be made to the departments or instrumentalities of the State and Central Governments ; or

(*b*) to the payments to be made on account of establishment matters.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR

Sd/-
Special Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित